राजस्थान सरकार
निदेशालय, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.18(आई-3)आईडब्ल्यूएमपी/निजभूस/2011/4113-44 दिनांक: 9-6-11

परियोजना प्रबन्धक,
जिला जलग्रहण विकास इकाई एवं
अधिशाषी अभियन्ता (भू संसाधन),
जिला परिषद (समस्त)

विषय :— आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत पूर्व की जलग्रहण परियोजनाओं में जलग्रहण विकास दल सदस्यों का चयन करने हेतु Operational Guidelines.

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के समसंख्यक पत्र कमांक 3598 दिनांक 31.05.2011 द्वारा आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण परियोजनाओं में जलग्रहण विकास दल के सदस्यों के चयन पर रोक लगा दी गयी थी। इस कम में राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की अनुपालना में आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजनान्तर्गत स्वीकृत जलग्रहण विकास परियोजनाओं में जलग्रहण विकास दल के सदस्य के रूप में काम किये हुये विषय विशेषज्ञ को आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना में रिक्त पदों के विरूद्ध चयन करने हेतु निम्न प्रकिया निर्धारित की जाती है :—

1. जिन जिलों में जलग्रहण विकास दल का चयन नहीं हुआ है या जलग्रहण विकास दल में किसी सदस्य का चयन शेष है, उन पर विशेषज्ञवार निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 5730-6088 दिनांक 28.04.2010 एवं 670-742 दिनांक 14.06.2010 में निर्धारित योग्यता के अनुसार पूर्व के जलग्रहण विकास दल के सदस्यों की योग्यता का पुनः सत्यापन करते हुए मेरिट/अनुभव के आधार पर चयन किया जावें।

2. पूर्व के जलग्रहण विकास दल के किसी भी सदस्य का आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना में चयन होने पर उससे विभाग के समसंख्यक पत्रांक 3639-3671 दिनांक 09.05.2011 में उल्लेखित एग्रीमेंट फोर कन्सलटेन्सी असाइन्मेन्ट के अनुसार अनुबन्ध करवाया जावें।

3. आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना में बिन्दु संख्या 1 के आधार पर समायोजन के उपरान्त पूर्व के जलग्रहण विकास दल के जो सदस्य चयन हेतु आवेदन करते हैं, उनको एक प्रमाण पत्र मय उनकी फोटो प्रमाणित करते हुए जारी किया जावें (प्रारूप संलग्न), जिसमें वे अपनी इच्छानुसार अन्य जिलों में विशेषज्ञ पदों पर चयन हेतु रिक्त पदों पर आवेदन कर सकें।

इस प्रकार उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर पूर्व के जलग्रहण विकास दल सदस्यों को आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना में चयन करने की सम्पूर्ण प्रकिया 2 माह में आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं निदेशालय को सूचित करें।

(हस्ताक्षर)
निदेशक